महत्वपूर्ण

संख्या:2/2024/आई/568434/2024 फाइल संख्या 92-1010(001)/6/2023

प्रेषक,

आनन्द प्रकाश सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 24 मई, 2024**

विषयः- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत समूह-क एवं समूह-ख के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर)/ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) के अंकन हेतु प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-350/ग्रा०अ०वि०/आईटीसेल/मानव सम्पदा/पत्रा०सं०-68/2024-25 दिनांक 06.05.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने हेतु लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-5300/62-3-99-74आरईएस/99 दिनांक 18.12.1999 द्वारा प्रक्रिया का निर्धारित करते हुए परिशिष्ट-'अ' में सम्बंधित अधिकारी के प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण किया गया है। पुन: लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-5317/62-3-2000-74आरईएस/99 दिनांक 18.12.2000 के माध्यम से पूर्व शासनादेश दिनांक 18.12.1999 के परिशिष्ट-'अ' में आंशिक संशोधन करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत सहायक अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं के सन्दर्भ में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने हेतु समीक्षक अधिकारी के रूप में दो समीक्षक- समीक्षक अधिकारी (एक) तथा समीक्षक अधिकारी (दो) का निर्धारण किया गया है।

3- राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत समूह-क एवं समूह-ख श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR)/ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त व्यवस्था प्रविष्टि वर्ष 2023-24 के लिए अनिवार्य कर दी गई है। मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन एपीएआर माड्यूल में एक ही समीक्षक अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि अंकित किये जाने की व्यवस्था है, तथा किसी विभाग विशेष हेतु एपीएआर माड्यूल में परिवर्तन हेतु एनआईसी द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के कारण शासनादेश दिनांक 18.12.2000 का अनुपालन संभव नहीं हो पा रहा है तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन एपीएआर माड्यूल पर सहायक / अधिशासी अभियंताओं का वर्क-फ्लो जनरेट करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 18.12.1999 एवं दिनांक 18.12.2000 में संशोधन करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत समूह-क एवं समूह-ख के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर)/ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) के अंकन हेतु **संलग्नानुसार (परिशिष्ट-क)** प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त व्यवस्था आलोच्य वर्ष / प्रविष्टि वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024) एवं अग्रेतर वर्षों से प्रभावी मानी जायेगी।

तदनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : परिशिष्ट-क

भवदीय
आनन्द प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2) निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन।
3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन।
5) निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6) मुख्य अभियंता (पूर्वी / पश्चिमी) , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7) समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०।
8) समस्त अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०।
9) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
आनन्द प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

परिशिष्ट-क

शासनादेश संख्या:2/2024/आई/568434/2024 फाइल संख्या 92-1010(001)/6/2023दिनांक 24 मई 2024 का संलग्नक

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत समूह-क एवं समूह-ख के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) / वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) के अंकन हेतु प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों (प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी) का निर्धारण

क्र०सं०	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन	विभागीय मंत्री	-
2	मुख्य अभियंता, स्तर-दो	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन	विभागीय मंत्री	निदेशक एवं मुख्य अभियंता के न होने पर प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन प्रतिवेदक अधिकारी भी होंगे
3	अधीक्षण अभियंता / अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय)	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन	विभागीय मंत्री	निदेशक एवं मुख्य अभियंता के न होने पर सम्बंधित कार्मिक का कार्य देख रहे मुख्य अभियंता, स्तर-दो प्रतिवेदक अधिकारी होंगे
4	अधिशासी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन	निदेशक एवं मुख्य अभियंता के न होने पर सम्बंधित कार्मिक का कार्य देख रहे मुख्य अभियंता, स्तर-दो समीक्षक अधिकारी होंगे
5	अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन	निदेशक एवं मुख्य अभियंता के न होने पर सम्बंधित कार्मिक का कार्य देख रहे मुख्य अभियंता, स्तर-दो

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					प्रतिवेदक अधिकारी होंगे
6	सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	निदेशक एवं मुख्य अभियंता के न होने पर प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन स्वीकर्ता अधिकारी होंगे
7	सहायक अभियंता, मुख्यालय	सम्बंधित अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	निदेशक एवं मुख्य अभियंता, स्तर-एक	निदेशक एवं मुख्य अभियंता के न होने पर सम्बंधित कार्मिक का कार्य देख रहे मुख्य अभियंता, स्तर-दो समीक्षक अधिकारी तथा प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन स्वीकर्ता अधिकारी होंगे

आनन्द प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।